

पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2021 (खंड)/...../पं०रा०

58(अ.१)

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

नजर हुसैन
विशेष सचिव

सेवा में,

संयुक्त सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांक: 17/9/26

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 52(स्वी०) दिनांक 17.09.2026 के आलोक में कुल ₹55,81,317.00 (पचपन लाख इक्यासी हजार तीन सौ सत्रह) रुपये मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 52(स्वी०) दिनांक 17.09.2026 द्वारा मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना पार्ट-01 के तहत बकाया राशि के भुगतान हेतु कुल ₹55,81,317.00 (पचपन लाख इक्यासी हजार तीन सौ सत्रह) रुपये मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के कंडिका-03 के अनुरूप CFMS के माध्यम से राशि अंतरित कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना पार्ट-01 के तहत बकाया राशि के भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश के कंडिका-03 के अनुरूप संबंधित ग्राम पंचायत को कुल ₹55,81,317.00 (पचपन लाख इक्यासी हजार तीन सौ सत्रह) रुपये मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

राशि रुपये में

जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत	आवंटित राशि
1	2	3	4
कैमुर	मोहनियाँ	भोखरी	5581317.00

पचपन लाख इक्यासी हजार तीन सौ सत्रह रुपये

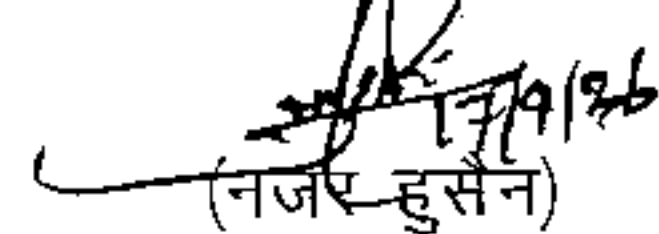
3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0113-मुख्यमंत्री निश्चय योजना" मद के "विषय शीर्ष-0113.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण" मद से की जाएगी। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड-16-2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से करते हुए विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 52(स्वी०) दिनांक 17.09.2026 के आलोक में संबंधित ग्राम पंचायत के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।
5. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमुर का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायत के लिए आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।
6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 573 दिनांक 16.01.1975 एवं एम० 04-15/2009-9736 दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम-271(ड) के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृतिदेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 एवं 926 दिनांक 31.07.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
8. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
9. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
10. इस आवंटित राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-03/2021 (खंड) के पृष्ठ संख्या 3.4—/टि० पर दिनांक 17/9/26 को प्राप्त है।

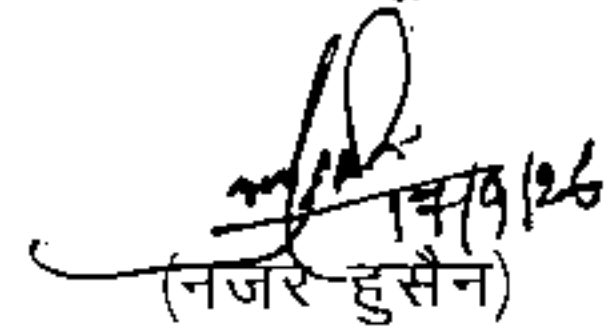
14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन


(नजर हुसैन)

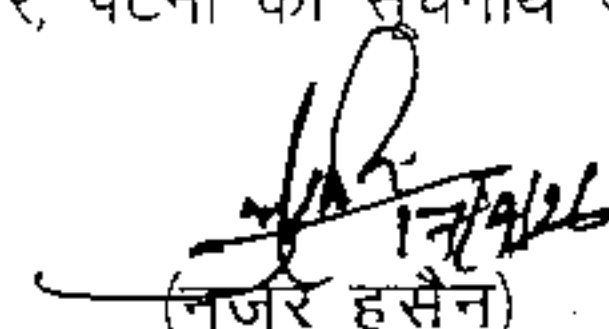
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2021 (खंड)/ 58(अ.पं०रा० पटना, दिनांक 17/9/26
प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/
कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/जिला
पदाधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज
पदाधिकारी, कैमुर/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03, 06, 07 (उपयोगिता प्रमाण पत्र
कोषांग), लेखापाल, रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)

विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2021 (खंड)/ 58(अ.पं०रा० पटना, दिनांक 17/9/26
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)

विशेष सचिव



